

सिंडिकेटबैंक नैगम कार्यालय 2nd क्रॉस, गांधी नगर, बैंगलूरु - 560009 दूरभाष: 080-22283030 फैक्स: 080-22283030 ईमेल आईडी: inrc@syndicatebank.co.in		SyndicateBank Corporate Office 2nd Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru - 560009 Tel.: 080-22283030 Fax: 080-22283030 Email Id: inrc@syndicatebank.co.in
---	--	--

निवेशक सम्पर्क केन्द्र/Investor Relations Centre

संदर्भ सं./Ref. No.: 461/CO:INRC/2914/SE/2018-19

दिनांक/Date: 01.10.2018

The Vice President (Listing) NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 (NSE Symbol: SYNDIBANK)	The Vice President (Listing) BSE LIMITED Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001 (BSE Symbol: 532276)
---	---

विषय/Sub.: Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SyndicateBank.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is hereby informed that an Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Shareholders of SyndicateBank is scheduled to be held on Monday, 29th October 2018 at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal- 576104 at 10:00 AM to transact the following business/es:

1. To elect 1 (one) Director from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government) in terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with Banking Regulation Act, 1949, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998, RBI Notification dated 01.11.2007/23.05.2011/24.11.2016 on "Fit and Proper" Criteria and criteria laid down by the Government of India for appointment of Part Time Non Official Directors on the Boards of Public Sector Banks and other extant and applicable laws.
2. To create, grant offer, issue and allot up to 9,00,00,000 (Nine Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each under Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "SYNDIBANK-ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion in such a way that the Government of India holding does not decrease below 51.00% of the Equity Paid-up Capital of the Bank.

A copy of EGM Notice enclosed.

Thanking you.

Yours faithfully,
For **SyndicateBank**

(सुशांत जैन/Sushant Jain)

कंपनी सचिव/Company Secretary



सोमवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2018 को सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन
मणिपाल - 576 104 में संपन्न होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की
असाधारण आम बैठक (“ईजीएम”) की सूचना

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (“EGM”) OF SHAREHOLDERS
OF THE BANK SCHEDULED TO BE HELD ON MONDAY, 29th OCTOBER 2018 AT
SYNDICATEBANK GOLDEN JUBILEE AUDITORIUM, MANIPAL 576104**



**प्रधान कार्यालय: मणिपाल
HEAD OFFICE : MANIPAL**

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राईवेट लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी
प्लॉट सं. 31 - 32, गचीबौली,
फाइनेन्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032
दूरभाष: 040 67162222 या
040 67161516 (सीधा)
फैक्स: 040 23001153
टोल फ्री सं.: 1800-345-4001

कंपनी सचिव
सिंडिकेटबैंक
निवेशक सम्पर्क केंद्र
कॉर्पोरेट कार्यालय
दूसरा क्रॉस, गाँधीनगर,
बेंगलूरु - 560 009
दूरभाष: 080 22283030
फैक्स: 080 22283030
ई-मेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक शिकायत: syndinvest@syndicatebank.co.in

Registrar and Share Transfer Agent:
M/s Karvy Computershare Private Limited
Unit: SyndicateBank
Karvy Selenium Tower B
Plot No. 31 - 32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032
Tel.: 040 67162222 or
040 67161516 (D)
Fax: 040 23001153
Toll Free No.: 1800-345-4001

Company Secretary
SyndicateBank
Investor Relations Centre
Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar,
Bengaluru - 560 009
Tel.: 080 22283030
Fax: 080 22283030
E-Mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances :
syndinvest@syndicatebank.co.in



प्रधान कार्यालय, मणिपाल
Head Office : Manipal

असाधारण आम बैठक / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

29.10.2018 – मणिपाल / MANIPAL

महत्वपूर्ण घटनाओं का कैलेंडर / IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

असाधारण आम बैठक में उपस्थित होने तथा नामित करने, वोट देने और चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु विनिर्दिष्ट तारीख Specified Date for ascertaining the Shareholders eligibility to attend EGM and to nominate, vote and contest in the election	25.09.2018
शेयरधारकों की सूची जिसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाना है। List of Shareholders to be made available for the candidates	01.10.2018
नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तिथि Last date for submission of Nomination Form on or before	12.10.2018
नामांकन की छानबीन Scrutiny of Nominations	15.10.2018
अभ्यर्थियों की उचित और उपयुक्त स्थिति का निर्धारण Ascertaining Fit and Proper Status of the candidates	On or before 17.10.2018 को या उससे पहले
कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) के तहत शेयर निर्गम हेतु ई-मतदान के लिए निर्दिष्ट तिथि {बैंक के शेयरधारकों में से 1 (एक) निदेशक के चुनाव हेतु (केन्द्र सरकार को छोड़कर), उसकी तारीख 25.09.2018 है) E-Voting Cut-off date for Issue of Shares under Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) {For Election of 1 (one) Director amongst Shareholders of the Bank (Other than Central Government), it is 25.09.2018}	22.10.2018
प्राधिकृत प्रतिनिधि/यों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी/प्रॉक्सियों और संकल्प/पों की प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट अंतिम तारीख Last date of receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	24.10.2018
नामांकन/नों वापस लेना Withdrawal of Nominations	24.10.2018
ई-मतदान शुरू होने की तथा इसकी अंतिम तिथि Opening and Closing Date for E-voting	25.10.2018 – प्रातः 9:00 बजे से / AM to 28.10.2018 – अपराह्न 5:00 बजे तक / PM
असाधारण आम बैठक की तिथि और समय Date and Time of Extraordinary General Meeting	29.10.2018 – प्रातः 10:00 बजे से / AM

विषय सूची / Contents

सूचना	4	Notice	4
नोट्स	8	Notes:	8
घोषणा पत्र	28	Declaration	29
व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन	32	Personal Information, Declaration and Undertaking	33
नामांकन फॉर्म	38	Nomination Form	39
उपस्थिति पर्ची / प्रवेश पत्र	41	Attendance Slip / Entry Pass	42
प्रॉक्सी फार्म	43	Proxy Form	44



प्रधान कार्यालय, मणिपाल

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार 29 अक्टूबर 2018 को प्रातः 10.00 बजे सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभा भवन, मणिपाल 576 104 में निम्नलिखित कारोबार/रों के संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से 1 (एक) निदेशक का चयन जिसके बारे में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, ("विनियमन अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970/1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "योजना" कहा गया है) और सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली 1998 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विनियमावली" कहा गया है) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "भा.रि.बैं. की अधिसूचना" कहा गया है और आगे उसमें किए गए संशोधन, यदि कोई हो) सं. डी.बी.ओ.डी.बी.सी.सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.5.2011 एवं सं. डीबीआर.एपीटी.बीसी.सं. 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 के साथ पठित अधिसूचना सं. डी.बी.ओ.डी. सं. बी.सी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 की शर्तों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के निदेशक मंडल हेतु अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए एफ.सं. 16/51/2012-बीओ.आई दिनांक 28.04.2015 और 20.07.2016 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड (जिसे इसके पश्चात् "भारत सरकार का दिशानिर्देश" कहा गया है और आगे उसमें किए गए संशोधन, यदि कोई हो) , के अनुसार चयनित निदेशकों के कार्यालय में रिक्ति को भरने व निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करने हेतु:

“संकल्प किया जाता है कि उक्त योजना तथा विनियमावली, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार केंद्र सरकार से भिन्न, अन्य शेयरधारकों में से 1 (एक) निदेशक को बैंक के निदेशक के रूप में एतद्वारा नियुक्त किया जाता है और वे चयन किये जाने की परवर्ती तिथि से अपना कार्यभार संभालेंगे जिस तिथि को उन्हें चयनित माना जाता है और वे कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।”

2. प्रत्येक ₹10/- (दस रुपए मात्र) की अंकि मूल्य वाले 9,00,00,000 (नौ करोड़) तक के इक्विटी शेयरों के सृजन, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन हेतु, एक या अधिक अंश में कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिंडिकेट-ईएसपीएस" कहा गया है) के तहत, बोर्ड/समिति द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित मूल्य या मूल्यों तथा नियम एवं शर्तों पर, यदि उचित पाया गया, आशोधन (नों) के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्पों को विशेष संकल्प के रूप में विचार करने हेतु:

“संकल्प किया जाता है कि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम"), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 ("योजना") तथा सिंडिकेट बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 ("विनियमन"), समय-समय पर हुए संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी"), स्टॉक एक्सचेंज (जों) जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, यथा लागू और/या इस संबंध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा उसमें सुझाए गए नियमों, शर्तों और आशोधनों के अधीन तथा जो बैंक के निदेशक मंडल की सहमति के अधीन हो और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 के आज तक यथा संशोधित प्रावधानों के अधीन हो तथा आरबीआई, सेबी एवं अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों के दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा समय-समय पर लागू अन्य सभी नियमों और सेबी (सूचिकरण देयताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 सेबी (एलओडीआर) आज तक यथा संशोधित, के प्रावधानों, स्टॉक एक्सचेंज नामतः, बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ बैंक द्वारा किए गए समान सूचिकरण करार के अधीन तथा किसी भी प्राधिकरण के किसी भी स्तर पर लागू किसी अनुमोदन (नों), अनुमति एवं स्वीकृति के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन (नों) अनुमति एवं स्वीकृति प्रदान करते समय



Head Office: Manipal

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of SyndicateBank will be held on Monday, 29th October 2018, at 10:00 AM at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal 576 104 to transact the following business/es:

1. To elect 1 (one) Director from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government) in respect of whom valid Nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 (hereinafter referred to as "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980 (hereinafter referred to as "Scheme") and SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as "Regulations") and Circular No. DBOD. No. BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD. No.BC.No. 95 /29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 read with relative Notification No. DBR.Apt.BC.No.38/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 issued by Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification" and further amendments thereto, if any) and criteria laid down by Government of India for vide F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 & 20.07.2016 for appointment of Part Time Non Official Director on the Boards of Public Sector Banks (hereinafter referred to as "GOI Guidelines" and further amendments thereto, if any) to fill the vacancy in the office of the elected Director and to pass the following resolution:

"RESOLVED THAT 1 (one) Director elected from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government), pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, RBI Notification and GOI Guidelines be and is hereby appointed as a Director of the Bank and shall assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected, and hold office until the completion of a period of 3 (three) years from the date of assumption of office of Director."

2. To create, grant offer, issue and allot up to 9,00,00,000 (Nine Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each under Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "SYNDIBANK-ESPS") in one or more tranches, at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/ Committee in its absolute discretion and to consider and if thought fit, pass with or without modification (s) the following as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("The Act"), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("The Scheme") and SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("The Regulations"), as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Stock Exchange(s) in which Bank's Equity Shares are listed, wherever applicable and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the provisions of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, and all other relevant authorities, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws from time to time and subject to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] as amended upto date, Uniform Listing Agreements entered into by the Bank with the Stock Exchanges namely BSE Limited (BSE) and the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and subject to any applicable approval(s), permission(s) and sanction(s), at any stage, of any authority and subject to any condition(s) and modification(s) as may be prescribed or imposed by such authorities while granting such approval(s), permission(s) and sanction(s) and which may be agreed to and accepted by the Board of Directors of the Bank, the consent of

उन प्राधिकरणों द्वारा यथा निर्धारित शर्त (तों) एवं संशोधन (नों) जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत एवं सहमत हों, एतद्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके पश्चात् “बोर्ड” कहा गया है जिसमें एक समिति शामिल मानी जाएगी जो बोर्ड द्वारा इस संकल्प द्वारा प्राप्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों को लागू करने हेतु स्थापित होगी या स्थापित की जाएगी) को भारत या विदेश में कार्यरत ऐसे कर्मचारी, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक (कों) (“कर्मचारी”), जैसा भी बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, एक या अधिक अंश में, ₹10/- (दस रुपए मात्र) प्रत्येक की अंकित मूल्य वाले 9,00, 00,000 (नौ करोड़) तक के इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रदान, ऑफर, निर्गम तथा आबंटन, सभी उद्देश्य हेतु एवं सभी मामलों में, बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों के समरूप, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् “सिंडिकेट-ईएसपीएस” कहा गया है) के तहत, लाभांश के भुगतान सहित, बोर्ड/समिति द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित मूल्य या मूल्यों तथा नियम एवं शर्तों पर, इस प्रकार से किया जाए कि भारत सरकार की धारिता बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी 51% से कम न हो।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि बैंक की नीति सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 या उसके पुनर्विनियमन के विनियम 15 में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुरूप होगी।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंजों में जहां बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए समान सूचीकरण समझौते के नियम एवं शर्तों के अनुसार तथा अन्य लागू दिशानिर्देशों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार, “सिंडिकेट-ईएसपीएस” के तहत निर्गम एवं आबंटित इक्विटी शेयरों के सूचीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एतद्वारा बोर्ड/समिति को प्राधिकृत किया जाता है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि समय-समय पर “सिंडिकेट-ईएसपीएस” के नियम एवं शर्तों में किसी भी प्रकार के संशोधन (नों) बदलाव (कों) परिवर्तन (नों) आशोधन (नों) तबदीली के लिए तथा बोर्ड/समिति द्वारा यथा-निर्धारित नियम एवं शर्तों पर “सिंडिकेट-ईएसपीएस” को लागू करने, बनाने, सृजन करने, निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन हेतु एतद्वारा बोर्ड/समिति को प्राधिकृत किया जाता है। जिसमें “सिंडिकेट-ईएसपीएस” के मूल्य, अवधि, पात्रता मानदंड या उसके निलंबन, आहरण, समाप्त करने या संशोधन के मामले शामिल हैं; जैसा कि बोर्ड/समिति अपने विवेकानुसार निर्धारित करेगी और “सिंडिकेट-ईएसपीएस” के कार्यान्वयन संबंधी सभी प्रश्नों, परेशानियों या शंकाओं के समाधान हेतु और ऐसा मानकर कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा शेयरधारकों में अपना अनुमोदन स्पष्ट रूप से प्रदान किया है, शेयरधारकों या अन्यथा से आगे कोई सम्मति या अनुमोदन की अपेक्षा के बिना प्रस्तावित “सिंडिकेट-ईएसपीएस” के अनुसार जारी किए जानेवाले शेयर शामिल हैं।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 एवं अन्य लागू नियमों, शर्तों एवं विनियमों के अनुसार, बोर्ड को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वे उपर्युक्त संकल्पों को लागू करने के लिए बैंक के निदेशों की समिति प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते सिंडिकेटबैंक

सुशांत जैन

(सुशांत जैन)

कंपनी सचिव

स्थान : बंगलूरु

दिनांक : 01.10.2018

the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted or/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, grant, offer, issue and allot, in one or more tranches, to such employees, whether working in India or outside India, which expression shall include the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank ("The Employees"), as may be decided by the Board, aggregating up to 9,00,00,000 (Nine Crore) new Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each, ranking *pari passu* with the existing Equity Shares of the Bank for all purposes and in all respects, including payment of dividend, under an Employee Stock Purchase Scheme (hereinafter referred to as "SYNDIBANK- ESPS"), at such price or prices, and on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee in its absolute discretion in such a way that Government of India holding does not decrease below 51.00% of the Equity Paid-up Capital of the Bank."

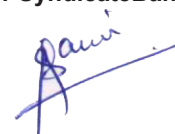
"RESOLVED FURTHER THAT the Bank shall conform to the accounting policies as specified in Regulation 15 of the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 or any statutory modification(s), amendment(s) or re-enactment thereof."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board/Committee be and is hereby authorized to take necessary steps for listing of the Equity Shares issued and allotted under the "SYNDIBANK-ESPS", on the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed, as per the terms and conditions of the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges and other applicable guidelines, rules and regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board/Committee be and is hereby authorized to implement, formulate, evolve, decide upon and bring into effect the "SYNDIBANK-ESPS" on such terms and conditions as may be decided by the Board/Committee and to make any modification(s), change(s), variation(s), alteration(s) or revision(s) in the terms and conditions of the "SYNDIBANK-ESPS", from time to time, including but not limited to, amendment (s) with respect to price, period, eligibility criteria or to suspend, withdraw, terminate or revise the "SYNDIBANK-ESPS" in such manner as the Board/Committee may determine in its sole discretion and also to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in relation to the implementation of the "SYNDIBANK-ESPS" and to the shares to be issued pursuant to the proposed "SYNDIBANK-ESPS" without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or otherwise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval there to expressly by authority of this resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Committee(s) of Directors, the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer (s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolutions in compliance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and other applicable laws, rules and regulations."

By order of the Board of Directors
For SyndicateBank



(Sushant Jain)
Company Secretary

Place: Bengaluru
Date: 01.10.2018

नोट्स:

1. व्याख्यात्मक कथन बैठक की कार्यवाहियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक कथन संलग्न है।

2. मतदान अधिकार:

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2 ई) के उपबंधों यथा संशोधित 2013 के अनुसार, केन्द्र सरकार से भिन्न, समनुरूपी नए बैंक का कोई भी शेयरधारक समरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता/रखती है तो, वह मतदान अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि उक्त अधिनियम, विनियमन अधिनियम तथा योजना विनियमावली में किए गए किसी संशोधन की वजह से इस सूचना में दी गयी वर्तमान प्रक्रिया के किसी भाग में परिवर्तन होता है तो, उक्त संशोधन अभिभावी होगा।

उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम विनिर्दिष्ट तारीख और/या अंतिम तारीख को इस बैठक में शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया हो एक वोट दे सकता है, बैंक के शेयरधारकों में से 1 (एक) शेयरधारक निदेशक (केन्द्र सरकार को छोड़कर) के चुनाव के संबंध में वह प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट के लिए पात्र होगा।

उक्त विनियमावली के विनियम 10 के अनुसार, यदि शेयर दो या उससे अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो उस व्यक्ति को एकल शेयरधारक माना जाएगा जिसका नाम रजिस्टर में सबसे पहले उल्लेख किया गया हो और वोटिंग के मामले में उसे एकल धारक के रूप में माना जाएगा। यदि शेयर संयुक्त नाम में हैं तो, केवल वही व्यक्ति बैठक में भाग लेने, नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने के लिए पात्र है, जिसका नाम पहले है।

3. विनिर्दिष्ट/ अंतिम तारीख:

बैंक ने निम्नलिखित तारीख निर्धारित किया है—

ए. इस नोटिस में वर्णित, केन्द्र सरकार से भिन्न, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले बैंक के शेयरधारकों में से 1 (एक) शेयरधारक निदेशक (केन्द्र सरकार को छोड़कर) के चयन के लिए चुनाव में भाग लेने यानी, **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट देने** के लिए पात्र शेयरधारकों के नामों को निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु बैंक द्वारा निर्दिष्ट तारीख **मंगलवार, 25.09.2018** है।

बी. इस नोटिस में वर्णित कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (ईएसपीएस) के तहत ईक्विटी शेयरों के निर्गम के अनुमोदन हेतु ई-मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र शेयरधारकों के मतदान अधिकार निर्धारित करने की नियत तारीख बैंक द्वारा **सोमवार 22.10.2018** निर्धारित की गयी है।

Notes:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business/es of the meeting is annexed hereto.

2. VOTING RIGHTS:

In terms of provisions of sub-section (2E) of section 3 of the Act, amended in 2013, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Specified date and/or Cut-off Date shall, at such meeting, have one vote for each share held by him/her in respect of election of 1 (one) Director from amongst Shareholders of the Bank (other than Central Government).

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards, voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

3. SPECIFIED/CUT-OFF DATE:

The Bank has fixed-

- a. **Tuesday, 25.09.2018** as the Specified Date for the purpose of determining the names of Shareholders entitled to participate in the election i.e. to **nominate, contest and vote** for the election of 1 (one) Director from amongst the Shareholders of the Bank (other than Central Government) as mentioned in the notice.
- b. **Monday, 22.10.2018** as the Cut-off date for determining voting rights of Shareholders entitled to participate in the E-voting process for approval of issue of Equity Shares under Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) as mentioned in the notice.

4. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी, बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

तथापि इस प्रकार से नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा। सिंडिकेटबैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

विनियम 70 (vi) के अनुसार प्रॉक्सी जारी करनेवाला व्यक्ति इस बैठक में मतदान के लिए पात्र नहीं होगा।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म, असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात्, 24 अक्तूबर, 2018 बुधवार को कार्य समय समाप्त होने तक बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

5. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैंक का शेयरधारक, किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति, बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 24 अक्तूबर, 2018 बुधवार को कार्य समय समाप्त होने तक जमा नहीं कर देता/कर देती।

6. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र-सह मतदान पत्र:

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अपेक्षित ई-मतदान आईडी एवं पासवर्ड के विवरण के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। ई-मतदान प्लैटफार्म का प्रयोग करते हुए शेयरधारकों को अपना मत प्रदान करने का विकल्प प्राप्त होगा। जिन्होंने ई-मतदान सुविधा का उपयोग नहीं किया है, वे ईजीएम के दिन बैठक के स्थान पर आयोजित मतदान में अपना मतदान कर सकते हैं। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पत्रक में छपे विवरणों की जाँच करें और यदि कोई खाली स्थान हो तो उसको भरें और उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर "प्रॉक्सी" अथवा "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाए।

4. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at the Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank **Wednesday, 24th October 2018**.

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a Shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank **Wednesday, 24th October 2018**.

6. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

For the convenience of the Shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this Notice, with requisite details pre-printed with the E-voting log-in id and password. Shareholders have an option to cast their votes by using E-voting platform. Those who do not exercise E-voting facility can cast their vote at the poll to be conducted at the venue of the meeting on the date of EGM. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to verify the details printed on the Attendance Slip and fill in the blanks, if any and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of Shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

7. अदावाकृत लाभांश, यदि कोई हो:

वैसे शेयरधारक जिन्होंने पिछली अवधियों अर्थात् वर्ष 2011-12 से 2014-15 के लिए प्राप्त लाभांश/लाभांश वारंट को नकदीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसके पुनर्वैधीकरण/ ड्रूपलीकेट लाभांश वारंट जारी करने हेतु बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

बैंक से inrc@syndicatebank.co.in पर अथवा शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करते हुए दावा हेतु शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट अर्थात् www.syndicatebank.co.in पर अदावाकृत/अप्रदत्त लाभांश वारंट के ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं।

8. भौतिक रूप से धारित शेयरों को कागजरहित बनाना:

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को अकागजीकृत रूप में बदल लें जिसके लिए उन्हें अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी से संपर्क करना होगा जहाँ वे अपना संबंधित डी-मैट खाते का रख-रखाव करते हैं। भारत का प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने अपनी राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 08.06.2018 के माध्यम से सूचित किया है कि दिनांक 05.12.2018 से प्रतिभूतियों का अंतरण अनिवार्य रूप से अकागजीकृत रूप में किया जाएगा। अकागजीकृत करने के निम्नलिखित लाभ हैं :

- i) इंज़ांतरहित अंतरण ii) शेयर प्रमाणपत्र के खोने का डर नहीं।
- iii) लाभांश/कारपोरेट लाभों को सीधा एवं शीघ्र जमा किया जाना
- iv) नामांकन सुविधा v) एसबीए/आईपीओ के माध्यम से सीधा आवेदन।

9. इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान:

समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण के दायित्वों एवं प्रकटीकरण, विनियमन 2015 के विनियमन 44 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों को आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा (रिमोट-ई-वोटिंग) प्रदान करना अनिवार्य है।

बैंक के शेयरधारक, बैठक की सूचना में निहित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्यवाहियों की सभी मर्दों का कार्यसंपादन कर सकते हैं।

कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी, को एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न करेंगे।

रिमोट ई-मतदान के लिए अनुदेश:

1. ई-मतदान के लिए निम्नांकित यूआरएल का प्रयोग करें:
कार्वी वेबसाइट से: <https://evoting.karvy.com>

7. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/received dividend of previous periods i.e., for the years from 2011-12 to 2014-15, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation/issue of duplicate dividend warrants.

The Bank has posted the details of the Unclaimed/ Unpaid Dividend Warrants on its website i.e., www.syndicatebank.in to enable the Shareholders to claim by contacting with the Share Transfer Agent/or with the Bank at inrc@syndicatebank.co.in.

8. DEMATERIALISATION OF PHYSICAL HOLDINGS:

The shareholders who are holding shares in Physical Mode are requested to convert their holdings in Dematerialised Form, for which they may contact their respective Depository Participant/s, where they maintain their respective Demat Accounts. Securities and Exchange Board of India (SEBI) vide Gazette Notification dated June 8, 2018 has mandated that transfer of securities would be carried out in Dematerialized Form only from 05.12.2018. Benefits of Dematerialisation are as follows:

- i) Hassle free transfer; ii) No threat of loss of Share Certificate; iii) Direct and prompt credit of Dividend/ Corporate Benefits; iv) Nomination Facility v) Direct application through ASBA/IPO.

9. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS:

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, it is mandatory to extend to the Shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote E-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business/es through remote E-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S.N. Ananthasubramanian and CO., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote E-voting process in a fair and transparent manner.

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING:

1. To use the following URL for E-voting:
From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>

2. विनिर्दिष्ट/अंतिम तारीख को, भौतिक रूप में या डिजिट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं।
3. लॉगिन क्रेडेन्शियल्स की प्रविष्टि करें अर्थात् असाधारण आम बैठक की उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आई डी और पासवर्ड। आपकी फोलियो सं./डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूजर आईडी होगी ।
4. ब्यौरे को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें ।
5. आपको पासवर्ड परिवर्तन मेनु दिखाई देगा जहाँ आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना पड़ेगा । नया पासवर्ड न्यूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अप्पर केस (ए-जेड), एक लोअर केस (ई-जेड), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष कैरेक्टर होंगे । सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं । अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें ।
6. आपको नए क्रेडेन्शियल के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ।
2. Shareholders of the Bank holding shares either in Physical Form or in Dematerialized Form, as on the Specified/Cut-off Date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the EGM]. Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.

कार्यसूची मद सं. 1 के लिए:

सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको **ईवेंट** अर्थात् सिंडिकेटबैंक का चयन करने का सुझाव देगा ।

1. जिन्होंने निर्धारित तिथि अर्थात् 25 सितंबर, 2018 तक अपना शेयर धारित किया है, वे अपना मतदान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से केवल एक अभ्यर्थी के पक्ष में, जिनका नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा, दर्ज कर सकते हैं। एक से ज्यादा मत दर्ज करने पर उनका मत अवैध हो जाएगा।
2. पुष्टि करने के लिए "ओ.के." पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी । शेयरधारक मतदान-अवधि के दौरान संकल्प पर अपने मतदान होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं ।
3. कई फोलियो/डिजिट खाता रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डिजिट खाता के लिए अलग मतदान प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं ।
4. शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के बाद वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता।
5. मतदान के लिए दि.25.10.2018 के प्रातः 9 बजे से दि.28.10.2018 के अपराह्न 5 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा ।
1. Those holding shares as on the Specified Date i.e. 25th September 2018, can cast their vote in favour of only ONE candidate, out of the contesting candidates whose names will appear on the screen. Casting vote exceeding ONE candidate shall render your vote as invalid.
2. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.
3. Shareholders holding multiple Folios/Demat Accounts shall choose the voting process separately for each Folios/Demat Account.
4. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
5. The Portal will be open for voting from 9:00 AM on 25.10.2018 to 5:00 PM on 28.10.2018.

6. किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ लें या दूरभाष सं.1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें ।

कार्यसूची मद सं 2 के लिए:

वोटिंग पेज में **निर्दिष्ट तिथि** (22 अक्टूबर, 2018) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दर्शाएगा।

1. कार्यसूची मद सं 2 के संबंध में आप "For" (पक्ष) या Against (विपक्ष) का चयन, जो भी हो, का चयन कर सकते हैं।
2. विकल्पतः आप कुछ मत को 'पक्ष' में और कुछ को 'विपक्ष' में दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा कुल मत आपके द्वारा धारित कुल शेयरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप "Abstain" (परहेज) विकल्प का भी चयन कर सकते हैं।
3. उचित विकल्प का चयन कर अपना मतदान करने के लिए 'Submit' बटन दबाने पर एक 'कन्फर्मेशन बॉक्स' प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए "ओ.के." पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक, मतदान-अवधि के दौरान संकल्प पर मतदान करने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थान पर वोटिंग/ पोलिंग:

ई-मतदान के अलावा, वे व्यक्ति, जिन्होंने ई-मतदान के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, पोल के माध्यम से भी वोटिंग कर सकते हैं। इस संबंध में घोषणा के तुरंत पश्चात् चुनाव शुरू होगा, और वोट की संख्या, उनके द्वारा निर्धारित/निर्दिष्ट तारीख 25.09.2018/22.10.2018 की स्थिति में धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी ।

इसके बाद वोटों की गिनती की जायेगी और बैठक के अध्यक्ष द्वारा ई-मतदान और बैठक के दौरान आयोजित पोलिंग के माध्यम से प्राप्त कुल वोट के आधार पर अंतिम परिणाम घोषित किए जायेंगे।

उपर्युक्त परिणामों को बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंज यानी **एनएसई एवं बीएसई** को भी इसे सूचित किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं 1 के लिए व्याख्यात्मक कथन:

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

निदेशक के चुनाव के लिए शेयरधारकों के अधिकार:

30 अक्टूबर, 2015 को आयोजित असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के दौरान श्री कमल किशोर सिंघल को 3 वर्षों की अवधि के

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and E-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact M/s Karvy Computershare Private Limited at 1800 345 4001 (Toll Free).

For Agenda Item No. 2:

On the voting page, the number of shares as held by the Shareholder as on the **Cut-off Date** (22nd October 2018) will appear.

1. In respect of Agenda Item No. 2, you may click on the FOR OR AGAINST, as the case may be.
2. Alternately you may enter partially any number in FOR and partially in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed the total shareholding. You may also choose the option ABSTAIN.
3. Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution.

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM:

Apart from remote E-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote E-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Specified Date/Cut-Off Date i.e. 25.09.2018/22.10.2018, as the case may be.

The counting of votes would be taken up thereafter and the results will be announced based on the aggregate of votes secured through remote E-voting and voting conducted at the meeting.

The aforesaid results will also be hosted on Bank's Website and shall also be informed to the Stock Exchanges i.e. NSE & BSE.

Explanatory Statement to Agenda Item No. 1:

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

RIGHT OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTOR:

At the Extraordinary General Meeting (EGM) held on 30th October 2015, Shri Kamal Kishore Singhal was elected as

लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया। उन्होंने 31.10.2015 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री कमल किशोर सिंघल का कार्य काल 30.10.2018 को समाप्त होगा।

आज की तारीख में बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 26.93% है अतः, केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या दो है। 16.09.2016 को आयोजित असाधारण आम बैठक में श्री सुनील वशिष्ठ को 3 वर्षों की अवधि के लिए शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित किया गया। उन्होंने 17.09.2016 को कार्यभार ग्रहण किया।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए तथा मौजूदा रिक्ति को भरने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार से भिन्न, शेयरधारकों में से एक निदेशक को चुनने हेतु चुनाव आयोजित करने का निर्णय बैंक ने लिया है। अतः विभिन्न संगत अधिनियमों, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमावलियों, भारत सरकार के दिशानिर्देशों, आरबीआई की अधिसूचना एवं यहां सूचित संगत भागों में दिए गए प्रक्रियाओं के अनुसार शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) अपना नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं।

इस प्रकार से चयनित निदेशक अपने चयन की तारीख की परवर्ती तारीख से अपना कार्यभार संभालेंगे और इस तिथि से तीन वर्षों की अवधि पूर्ण होने तक अपने पद पर बने रहेंगे।

Shareholder Director for a period of 3 years. He assumed office on 31.10.2015. The term of Shri Kamal Kishore Singhal will end on 30.10.2018.

Public Shareholding in the Bank as on date is 26.93% and hence, number of Directors to be elected by shareholders other than Central Government is two. Shri Sunil Vashisht was elected as shareholder Director at the Extraordinary General Meeting held on 16.09.2016 for a period of 3 years. He assumed office on 17.09.2016.

In view of the aforesaid and with a view to filling in the existing vacancy, Bank has decided to conduct election to elect one Director from amongst Shareholders other than the Central Government. The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their Nominations as per the procedures detailed in various and relevant Act, Regulation Act, the Scheme, the Regulations, the RBI Notification and the GOI Guidelines, the relevant portions of which are indicated hereunder.

A Director so elected shall assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected, and hold office until the completion of a period of three years from the date of assumption of office of Director.

विधिक प्रावधान:

इस संबंध में लागू होनेवाले विभिन्न अधिनियमों/योजना/विनियमावली/अधिसूचनाओं में शामिल उपबंधों के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

अधिनियम/ योजना/ विनियमावली अधिसूचनाएँ	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	– वास्तविक हित – सामान्य निदेशक पर निषेध – ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर प्रतिबंध
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980	धारा 3 (2ई) धारा 9 (3)(i) धारा 9(3 ए) (ए) से (सी) तक धारा 9 (3 एए) धारा 9 (3 ए बी) धारा 9 (3 बी) धारा 13 (2)	– वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध – शेयरधारकों द्वारा चयन किए जानेवाले निदेशकों की संख्या (केन्द्र सरकार से भिन्न) – कुछ क्षेत्रों में विशेष या व्यावहारिक अनुभव – कोई भी व्यक्ति निदेशक बनने के लिए तभी पात्र होगा जब वह ट्रैक रिकार्ड के आधार पर निष्ठा और इस संबंध में समय-समय पर भा.रि.बैं. द्वारा अधिसूचित अन्य मानदण्डों के अनुसार उचित और उपयुक्त हो। – उचित एवं उपयुक्त की स्थिति निर्धारित करने हेतु प्राधिकरण को अधिसूचित करने हेतु आरबीआई का अधिकार – इस प्रकार से चयनित निदेशक जो उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं की पूर्ति न करता हो, को हटाने के लिए आरबीआई का अधिकार – निष्ठा और गोपनीयता का अनुपालन
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970/1980	खण्ड 4 ए खण्ड 9 (4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11 ए खण्ड 11 बी खण्ड 12 (8)	– अतिरिक्त चयनित निदेशक की सेवानिवृत्ति का ढंग – चयनित निदेशक द्वारा कार्यभार धारण करने की अवधि – निदेशकों की अनर्हता – निदेशक के पद को रिक्त करना – चयनित निदेशक को पद से हटाना – चयनित निदेशक के पद को भरना – राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से या उनके द्वारा किए गए या किए जाने वाले किसी प्रकार की संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निदेशक के संबंध या हित का बोर्ड के समक्ष निदेशक द्वारा हित की प्रकृति का प्रकटीकरण।

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Schemes/Regulations/Notifications/Guidelines applicable in this regard:

ACT/SCHEME/ REGULATION/ NOTIFICATIONS/GUIDELINES	SECTIONS/ PROVI- SIONS/ CLAUSES/ REGULATIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	- Substantial Interest - Prohibition of Common Directors - Restrictions on loans and advances
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	Section 3 (2E) Section 9 (3) (i) Section 9 (3A) (A) to (C) Section 9 (3AA) Section 9 (3AB) Section 9 (3B) Section 13 (2)	- Restriction on Voting Rights - No. of Directors to be elected by the Shareholders (other than the Central Government). - Special Knowledge or Practical Experience in certain fields. - No person shall be eligible to be elected as Director unless he is a person having Fit and Proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may notify from time to time in this regard. - Right of RBI to notify the authority to determine the Fit and Proper status. - Right of RBI to remove a Director so elected who does not fulfill the requirements of sub-sections (3A) and (3AA) of section 9 of the Act. - Obligation as to Fidelity and Secrecy.
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980	Clause 4A Clause 9 (4) Clause 10 Clause 11 Clause 11.A Clause 11-B Clause 12 (8)	- Manner of retirement of excess elected Director - Term to hold office by elected Director - Disqualification of Directors - Vacation of office of Directors - Removal from office of an elected Director - Filling of vacancy in the office of an elected Director - Disclosure of nature of interest to the Board by Director having directly or indirectly concern or interest in any contract, loan, arrangement or proposal entered in to or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized Bank.

अधिनियम/ योजना/ विनियमावली अधिसूचनाएँ	उपबंध	संक्षिप्त विवरण
सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998	विनियम 10 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	– संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग – आम बैठक में चयनित किए जानेवाले निदेशकगण – शेयरधारकों की सूची – चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन – नामांकनों का मूल्यांकन – चुनाव संबंधी विवाद – मतदान अधिकारों का निर्धारण – सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान – प्रॉक्सी
भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. डीबी ओडी सं. बीसी सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 और सं. डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011 एवं संबंधित अधिसूचना सं. डीबीआर. एपीटी.बीसी. सं. 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 एवं अनुवर्ती परिपत्र/ अधिसूचनाएं , यदि कोई हो	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3 ए ए) और धारा 9 (3ए बी) के अनुसार	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक/कों के लिए उचित और उपयुक्त मानदण्ड
भारत सरकार के कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी)द्वारा अनुमोदित तथा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के बोर्ड में अंशकालिक गैर –सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु एफ.सं.16/51/2012- बीओ.आई. दिनांक 28.04.2015 एवं दिनांक 20.07.2016 तथा एफ.सं. 16/83/2013 - बीओ.आई. दिनांक 03.09.2013 एवं अनुवर्ती संशोधनों, यदि कोई हो, के माध्यम से जारी संशोधित दिशानिर्देशों	एफ.सं. 16/51/2012- बीओ.आई दिनांक 28.04.2015 तथा 20.07.2016 तथा एफ.सं.16/83/2013- बीओ.आई दिनांक 03.09.2013	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, शेयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने वाले अभ्यर्थियों के उचित एवं उपयुक्त स्थिति का निर्धारण करते समय “बोर्ड की नामांकन समिति” द्वारा इन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक का मास्टर परिपत्र	डीबीआर सं. डीआईआर. बीसी. 10/13.03.00/2015-16 दिनांक 01.07.2015	निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान किया जाना तथा बैंक के निदेशकों को अग्रिम

ACT/SCHEME/ REGULATION/ NOTIFICATIONS/GUIDELINES	SECTIONS/ PROVI- SIONS/ CLAUSES/ REGULATIONS	SHORT PARTICULARS
SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998	Regulation 10 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	- Exercise of rights of Joint Holders - Directors to be elected at General Meetings - List of Shareholders - Nomination of candidates for election - Scrutiny of Nominations - Election Disputes - Determination of Voting Rights - Voting by duly Authorized Representative - Proxies
RBI Circular No. DBOD. No. BC. No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD. No.BC.No. 95 /29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 & relative Notification No. DBR.Apt.BC. No.38/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 and subsequent Circulars / Notifications, if any	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980	Fit and Proper Criteria for Director/s on the Board of Nationalised Banks
Revised Guidelines approved by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) of Government of India and issued vide F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 & 20.07.2016 & F.No. 16/83/2013-BO.I dated 03.09.2013 and subsequent revisions, if any for appointment of Part Time Non Official Director on the Boards of Public Sector Banks	F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 & 20.07.2016 & F.No. 16/83/2013-BO.I dated 03.09.2013	The guidelines will be adhered/followed by the "Nomination Committee of the Board" while carrying out determination of Fit and Proper Status of candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980.
RBI Master Circular	DBR.No.Dir. BC.10/13.03.00/2015-16 dated 01.07.2015	Advances to Bank's Directors and Granting loans and advances to relatives of Directors

संगत अधिनियमों/योजना/विनियमावलिओं/अधिसूचनाओं/इत्यादि के उद्धरण:

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपरोक्त अधिनियमों/योजनाओं/विनियमनों/अधिसूचनाओं/दिशानिर्देशों के संगत उद्धरण बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in पर प्रदर्शित किए गए हैं। उक्त उद्धरणों को इच्छुक अभ्यर्थियों को भी ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा बशर्ते, वे नामांकन फार्म के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख यानी 12.10.2018 से पहले सिंडिकेटबैंक, महा प्रबंधक (निरीक्षण विभाग) प्रधान कार्यालय, मणिपाल को अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए अपेक्षित अर्हताएँ:

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अनुसार, निदेशकों का नामांकन किया जाएगा।

ए) उसे निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो:

- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii) बैंकिंग
- iii) सहकारिता
- iv) अर्थशास्त्र
- v) वित्त
- vi) विधि
- vii) लघु उद्योग
- viii) सूचना प्रौद्योगिकी/भुगतान एवं निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/कारोबार प्रबंधन इत्यादि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान
- ix) किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में समवर्ती नए बैंक के लिए उपयोगी हो।

बी) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

सी) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

अधिनियम की उपधारा (3) के खंड 9 (i) के तहत कोई भी व्यक्ति निदेशक बनने के लिए तभी पात्र होगा जब वह ट्रैक रिकार्ड के आधार पर निष्ठा और इस संबंध में अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार समय-समय पर भा.रि.बैं. द्वारा अधिसूचित अन्य मानदण्डों के अनुसार उचित और उपयुक्त हो।

बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रसंविदा विलेख के निष्पादन का वचन चयनित निदेशक द्वारा भी दिया जाएगा और इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत किया जाएगा।

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEMES / REGULATIONS / NOTIFICATIONS / GUIDELINES ETC.:

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts of abovementioned Acts/Schemes/Regulations/Notifications/Guidelines are being hosted on Bank's Website www.syndicatebank.in. Such extracts will also be E-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the SyndicateBank, General Manager, (Audit & Inspection Department), Head Office, Manipal, on or before the last date fixed for submission of Nomination Forms viz., 12.10.2018.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

The Directors to be nominated under clause (i) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 shall-

(A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:

- (i) agricultural and rural economy,
- (ii) banking,
- (iii) co-operation,
- (iv) economics,
- (v) finance,
- (vi) law,
- (vii) small scale industry,
- (viii) special knowledge of IT/ Payment & Settlement Systems/ Human Resources/ Risk Management/ Business Management etc.
- (ix) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new bank;

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

No person shall be eligible to be elected as Director under clause 9 (i) of sub-section (3) of the Act unless he is a person having Fit and Proper Status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard as per Section 9 (3AA) of the Act.

The elected Director will also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all Directors of the Bank and submit annual declarations as notified by the Reserve Bank of India from time to time in this regard.

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अनर्हता:

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1980 के खंड 10 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य हैं :

- ए. यदि उसे कभी भी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाताओं से समझौता किया है, अथवा
- बी. यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में घोषित किया है; अथवा
- सी. यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने ऐसे अपराध के लिए आपराधिक सजा सुनाई है जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो अथवा
- डी. यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायक बैंक में लाभ के पद पर है किन्तु वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 में (ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, समवर्ती नए बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पदों को छोड़कर, ग्रहण कर सकता है।

तथा

एफ.सं. 16/51/2012- बीओ.आई. दिनांक 28.04.2015 एवं 20.07.2016 तथा एफ.सं. 16/83/2013- बीओ.आई. दिनांक 03.09.2013 के माध्यम से जारी तथा भारत सरकार के कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या डीबीओडी सं. बीसी सं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दि. 01.11.2007 और डीबीओडी.बीसी सं.95/29.39.001/2010-11 दि. 23.05.2011 एवं संगत अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीटी.बीसी. सं.38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11.2016 की शर्तों के अनुसार यदि वह व्यक्ति “बोर्ड की नामांकन समिति” द्वारा उचित एवं उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची:

विनियम 64 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में मदद करने की दृष्टि से, विनिर्दिष्ट तारीख यानी दि. 25.09.2018 की स्थिति में शेयरधारकों की पूरी सूची, महा प्रबंधक (लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग), सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल में दि. 01.10.2018 से हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति के लिए क्रमशः ₹50,000/- एवं ₹10,000/- के पूर्व-भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीदी हेतु उपलब्ध होगी जिसका भुगतान सिंडिकेटबैंक के पक्ष में बेंगलूरु में देय किसी अनुसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director-

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
- (c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) If he holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any Subsidiary Bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a Whole-Time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new Bank.

and

If he/she is not found Fit and Proper person, by the “Nomination Committee of the Board” in terms of Circular No. DBOD. No. BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 & DBOD. No.BC.No. 95 /29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 & relative Notification No. DBR.Apt. BC.No.38/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 issued by the Reserve Bank of India and Guidelines approved by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC) of Government of India and issued vide F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 & 20.07.2016 & F.No. 16/83/2013-BO.I dated 03.09.2013.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS:

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Specified Date i.e., 25.09.2018 will be available for purchase at Head Office of the Bank with General Manager (Audit & Inspection Department), SyndicateBank, Head office, Post Box No. 1, Manipal – 576 104, from 01.10.2018 onwards for purchase by Shareholders on a pre-payment of ₹50,000/- & ₹10,000/- for Hard Copy & Soft Copy respectively by way of Demand Draft/Pay Order of a Scheduled Bank, in

के माध्यम से किया जा सकता है। इस रकम को सिंडिकेट बैंक की गांधीनगर, बेंगलुरु शाखा में उपलब्ध सिंडिकेट बैंक, कार्पोरेट कार्यालय की चालू खाता सं. 04001140000034 (आईएफएससी कोड SYNB0000400) में एनईएफटी के द्वारा भी जमा की जा सकती है। इस मामले में, भुगतान की पुष्टि करते हुए यूटीआर संख्या सहित आवेदन पत्र को शेयरधारकों की सूची प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त पते पर भेजा जा सकता है।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण:

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी कार्यदिवसों (रविवार और बैंक अवकाश के दिनों को छोड़कर) यानी सोमवार से शनिवार तक अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक (द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर) निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट आउट की जरूरत है तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके भाग के लिए ₹ 5/- की दर से पूर्व-भुगतान करने पर उपलब्ध कराया जाएगा।

चुनाव में सहभागिता:

ऐसे शेयरधारक, जिनके नामों का उल्लेख 25.09.2018 की स्थिति में एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/हिताधिकारी रजिस्टर में शामिल हो, वे चुनाव में सहभागिता करने यानी अभ्यर्थियों को **नामित करने, चुनाव लड़ने** तथा (केन्द्र सरकार से भिन्न) अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में **वोट डालने** के लिए पात्र हैं।

विनियमावली के विनियम 68 के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक, जिसका नाम दि. 25.09.2018 को, यानी आम बैठक की तारीख से पहले निर्दिष्ट तारीख को, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह अपना हाथ उठाकर अपना एक वोट डाल सकता है और मतदान के मामले में उसके पास प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन:

नामांकन की वैधता

विनियमावली के विनियम 65 एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना तथा इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड एवं लागू विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी प्रत्याशी का नामांकन तभी वैध होगा जब:

- ए) वह चुनाव में भाग लेने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख, यानी 25.09.2018 को कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखनेवाला शेयरधारक हो और दि. 29.10.2018 तक या उसके बाद भी चुने जाने की स्थिति में, अपनी पदावधि की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखता हो।
- बी) उसे, दि. 12.10.2018 (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख) की स्थिति में, अधिनियम/योजना/विनियमावली/भा.रि.बैं. की अधिसूचनाओं/भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।

favour of 'SyndicateBank' payable at Bengaluru. Amount can also be remitted through NEFT to SyndicateBank-Corporate Office, Current A/c Number 04001140000034 (IFSC Code SYNB0000400) with Gandhinagar Branch, Bengaluru. In that case, request letter alongwith UTR Number confirming payment may be forwarded to the above address for obtaining list of shareholders.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders is also open for inspection at the Head Office of the Bank on all working days (other than Sundays & Bank holidays) i.e., Monday to Saturday between 3:00 PM to 5:00 PM (except 2nd and 4th Saturdays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of ₹5/- for every 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL/RTA as on 25.09.2018, shall be entitled to participate i.e., **Nominate, Contest and Vote** in election of Director from amongst Shareholders (other than the Central Government).

As per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a Shareholder as on 25.09.2018, the Specified Date, prior to the date of a General Meeting, shall have one vote for each share held by him / her.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

Validity of Nominations:

In terms of Regulation 65 of the Regulations, Notifications of Reserve Bank of India and criteria laid down by the Government of India for consideration as a Part Time Non Official Director in Public Sector Banks and other applicable provisions of various Acts/Schemes/Regulations, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- (a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on 25.09.2018 being the Specified Date for participating in the election; and continues to hold a minimum of 100 shares till 29.10.2018 and thereafter till the end of his tenure if he is elected.
- (b) as on 12.10.2018 (the last date for receipt of nominations) he/she is not disqualified to be a Director under the Acts//Schemes/Regulations/RBI Notifications/GOI Guidelines.

- सी) वह किसी एक विषय में विशेषतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन एवं आईटी विषय में विशेषज्ञता सहित कम से कम स्नातक हो।
- डी) चुनाव की तारीख को प्रतियोगी की उम्र 67 वर्ष से अधिक न हो।
- ई) प्रतियोगी की अपने विशेष कार्यक्षेत्र में सामान्यतः 20 वर्ष का अनुभव हो।
- एफ) वह किसी बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)/भारिबैं/बीमा कंपनी के किसी भी श्रेणी में पहले से निदेशक न हो।
- जी) वह किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/भारिबैं/बीमा कंपनी में किसी भी वर्ग के अंतर्गत 6 वर्ष के लिए लगातार या आवधिक रूप में निदेशक के पद पर नहीं रहा हो।
- एच) नामांकन हेतु, उसी सनदी लेखाकार फर्म के कोई भी भागीदार जो वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में जुड़े हों, पात्र नहीं होंगे।
- आई) नामांकन हेतु, उसी सनदी लेखाकार फर्म के कोई भी भागीदार जो वर्तमान समय में किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या संगामी लेखापरीक्षक के रूप में जुड़े हों, पात्र नहीं होंगे।
- जे) नामांकन, इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत् संगठित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित, लिखित रूप में हो, बशर्ते, कोई शेयरधारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन कर सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प को पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में प्रमाणित कर महा प्रबंधक (लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण) विभाग), सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल - 576 104 को प्रेषित किया जाए और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- के) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन एवं घोषणा पत्र के नमूना फार्म के अनुसार, किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्युरेंस का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष विधिवत् हस्ताक्षरित इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है तथा यह कि उसे बैंककारी विनियमन अधिनियम या अधिनियम या योजना या विनियमन के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।
- एल) नामांकन फार्म तथा घोषणापत्र, उक्त विनियमावली द्वारा विनिर्दिष्ट और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो। (प्रोफार्मा हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर भी उपलब्ध है)।
- (c) he/she should atleast be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.
- (d) the age of the contestant should not be more than 67 years as on the date of election.
- (e) the contestant should ordinarily have 20 years of work experience, in their particular field.
- (f) he should not already be a Director on a Bank/ Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category.
- (g) he should not have served as a Director on the Board of any other Bank / FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently, under any category.
- (h) no partner of a Chartered Accountant firm, which is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor shall be eligible for nomination.
- (i) no partner of a Chartered Accountant firm, which is currently engaged in the Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor is eligible for nomination.
- (j) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the General Manager (Audit & Inspection Department), Post Box No.1, Manipal-576 104 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- (k) the nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a Declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations.
- (l) the nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website www.syndicatebank.in).

एम) यदि उनके पास निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) उपलब्ध है, तो उसे नामांकन फॉर्म में प्रस्तुत किया जाए।

एन) ऐसी अन्य शर्तें, नियामक/ सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर लागू की जाएगी।

नामांकन फार्म का प्रस्तुतीकरण:

केन्द्र सरकार को छोड़कर, अन्य शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों द्वारा निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत किया जाए:

ए) विधिवत् भरे गए घोषणा-पत्र

बी) चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन (नामांकन फार्म में)

सी) वैयक्तिक सूचना, घोषणा-पत्र और वचन-पत्र के साथ साथ संगत दस्तावेज, शंसापत्र यानी, बायो-डाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आदि संबंधी प्रमाण-पत्र को इस सूचना के साथ संलग्न फार्मेट में, संगत दस्तावेजों के साथ, एक मुहरबंद लिफाफे में डालकर स्पष्ट अक्षरों में 'शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबंधित फार्म' लिखकर उसे महा प्रबंधक, निरीक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय, डा.पे.सं. 1, मणिपाल-576 104 को असाधारण आम बैठक के लिए निर्धारित तारीख से चौदह दिन पहले किसी भी कार्य दिवस को यानी दि. 12.10.2018 को या उससे पहले बैंक के कार्य समय यानी सायं 5.00 बजे से पहले प्रस्तुत किया जाए अन्यथा नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

नामांकन की जांच:

ए. नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य दिवस यानी दि. 15.10.2018 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन मान्य नहीं है तो, इसके लिए कारणों को अभिलेखित करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बी. भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल की नामांकन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की 'उचित और उपयुक्त स्थिति' का निर्धारण करने के लिए नामांकन पत्र की छानबीन की जाएगी।

सी. नामांकन की जांच के समय या बोर्ड की नामांकन समिति की सलाह पर बैंक द्वारा अभ्यर्थियों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, दस्तावेजों की मांग की जा सकती है।

डी. यदि चुनाव हेतु भरी जानेवाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त होता है तो इस प्रकार से नामित अभ्यर्थी को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उसके नाम और पते को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, एक शेयरधारक निदेशक के चयन से संबंधित कार्यसूची मद को असाधारण आम बैठक में नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार चयनित उम्मीदवार चुनाव के परवर्ती तिथि से अपना पदभार ग्रहण करेगा।

(m) if he/she is having Director Identification Number (DIN), the same should be furnished in the Nomination Form.

(n) such other conditions, regulatory / statutory authorities may impose from time to time.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of hundred shareholders (in the Nomination form) entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz. Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in the formats annexed to the Notice and supporting documents in a sealed envelope superscribing "Forms with regard to election of shareholder director" to the General Manager – Audit & Inspection Department, Head office, Post Box No.1, Manipal – 576 104, together with connected documents, complete in all respects, on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e., 5:00 PM on 12.10.2018 failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- Nominations shall be scrutinized by the Bank on 15.10.2018, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) therefore;
- Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit and Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notification and GOI Guidelines;
- The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature;
- If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled-in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. **In such an event the agenda item pertaining to election of Shareholder Director will not be taken up in the Extraordinary General Meeting.** The candidate so elected shall assume office from the date following that on which he/she is deemed to be elected;

ई. जितनी संख्या में निदेशकों को चुना जाना है, यदि उससे अधिक वैध नामांकन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों के नाम अखबारों में प्रकाशित करवाए जाएंगे तथा मतदान में बहुमत प्राप्त करनेवाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा और उनके नाम की घोषणा अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाएगी एवं इसे अखबारों में प्रकाशित भी किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी दिनांक 31 अक्टूबर 2018 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।

एफ. यदि कोई विवाद हो तो, विनियमावली के विनियम 67 के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा।

दि. 29.10.2018 को मतदान की प्रक्रिया:

निदेशक के चुनाव को हाथ उठाकर वोट डालने की पद्धति के आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि बैठक के स्थान पर रिमोट ई-वोटिंग एवं वोटिंग के माध्यम से मतदान द्वारा किया जाएगा।

बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान प्रारंभ किया जाएगा और दोपहर 12.00 बजे तक जारी रहेगा। वोटों की संख्या, उनके द्वारा दि. 25.09.2018 (निर्धारित तारीख) को धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

रिमोट ई-वोटिंग और मतपत्रों द्वारा बैठक में किये गये मतदान को संकलित किया जायेगा और, जाँचकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर वोटों की गिनती शुरू होगी और बैठक के अध्यक्ष/ अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी।

संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का आयोजन बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो एक स्वतंत्र परामर्शदाता है जिनकी नियुक्ति बैंक द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु की गयी है और भारत सरकार के नामिती द्वारा चुनाव प्रक्रिया की देखरेख में की जाएगी, जो पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

नामांकन वापस लेना:

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता/चाहती है, तो वह दिनांक 24.10.2018 तक किसी भी समय बैंक कारोबारी समय की समाप्ति से पहले शाम 2.00 बजे से पहले अपना नामांकन वापस ले सकता/सकती है। नामांकन वापस लेने के बाद यदि चुनाव लड़ने के लिए कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो या केवल एक अभ्यर्थी उपलब्ध हो तो उसे तत्काल चयनित घोषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में बैठक के स्थान पर रिमोट ई-वोटिंग एवं वोटिंग दोनों आयोजित नहीं किए जाएंगे।

निदेशकों की हितबद्धता:

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ते हैं तो यह माना जाएगा कि वे उक्त क्रियाकलाप से संबद्ध हैं अथवा उनमें उनकी रुचि है।

कार्यसूची मद सं. 2 के लिए व्याख्यात्मक कथन:

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और कर्मचारियों को शेयर का निर्गमन

बैंक कर्मचारियों में अपनत्व की भावना लाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

e. If valid nomination is more than the one (Director to be elected), names of the candidates shall be published in the newspapers and candidate polling the majority of the votes shall be elected and his/her name will be announced by the Managing Director and Chief Executive Officer and also published in newspapers. He/She will assume office on 31st October 2018;

f. If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Voting PROCESS on 29.10.2018:

The Voting for election of directors will not be on the basis of show of hands but shall be done by voting by means of remote E-voting and Voting at the venue of the Meeting.

The Voting at the venue will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and continue upto 12:00 noon. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 25.09.2018 (Specified Date).

The votes polled through remote E-voting along with votes polled at the Meeting shall be consolidated and based on the report of the Scrutinizer, counting of votes would be taken up thereafter and result would be announced by the Chairman/person authorized by the Chairman of the meeting.

The entire process of election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, M/s S. N. Ananthasubramanian & CO., Company Secretaries as Scrutinizer for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Government of India Nominee who will act as an Observer.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before 2:00 PM on 24.10.2018. In case after withdrawal of nomination, there is no candidate or only one candidate contesting, he/she will be declared elected forthwith. In that event both remote E-voting and voting at the venue of the Meeting will not be held.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank may be deemed to be concerned or interested in the aforementioned item of business in case they contest the Election.

Explanatory Statement to Agenda Item No. 2:

Issue of Shares to Employees and Whole Time Directors of the Bank

With a view to enhance sense of belongingness and to motivate the Bank's Employees, the Bank proposes

तथा कार्यपालक निदेशक सहित अपने स्थायी कर्मचारियों (पात्र कर्मचारी) को नए इक्विटी शेयर निर्गमित करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव बासेल III आवश्यकताओं के क्रम में बैंक की पूंजी पर्याप्तता और लंबी अवधि के लिए बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रख कर किया गया है।

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम 2014 (सेबी (एसबीईबी) के अनुपालन में बैंक ने सिंडिकेटबैंक कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (सिंडीबैंक-ईएसपीएस) का आरंभ किया है। यह योजना निदेशक मंडल द्वारा प्रशासित की जाएगी, जो इस पर लागू नियमों के अधीन होगी।

वर्ष 2018-19 के लिए कुल राशि की पूंजी वर्धन योजना ₹ 5000 करोड़ की है। बैंक ने ₹ 90 करोड़ तक (अर्थात् ₹ 9.00 करोड़ इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक शेयर) की इक्विटी शेयर पूंजी बढ़ाने के लिए भारत सरकार/सेबी/अन्य विनियामक एजेंसी आदि अनिवार्य/विनियामक अनुमोदनों के पश्चात् अधिकतम ₹ 250 करोड़ (प्रीमियम सहित) तक सिंडिकेटबैंक कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना (सिंडीबैंक-ईएसपीएस) के माध्यम से एक अथवा अधिक ट्रांच में, इस प्रकार से किसी भी स्थिति में भारत सरकार की धारित 51% से कम न हो।

दीर्घावधि संसाधन की बढ़ोतरी से पृथक बैंक का उद्देश्य :

- बैंक के कर्मचारियों के योगदान को चिन्हित करने और उन्हें पुरस्कृत करने तथा बैंक के दीर्घावधि हित के साथ कर्मचारियों का हित
- कर्मचारियों के बीच अपनत्व और स्वामित्व की भावना का विकास करना

योजना के अंतर्गत निर्गमित की जानेवाली प्रस्तावित नई इक्विटी शेयर बैंक की मौजूदा इक्विटी शेयर लाभांश के भुगतान (यदि बैंक द्वारा घोषित की गई हो) सहित सभी पहलुओं के समरूप श्रेणी में होगी।

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (सेबी (एलओडीआर) की विनियम 41(4) और सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 की विनियम 6 के अनुपालन में बैंक ने पात्र कर्मचारियों को नई इक्विटी शेयर के निर्गमन और आबंटन के लिए विशेष संकल्प का प्रस्ताव किया है।

सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसीसेल/2015 दिनांक 16 जून 2015 के आलोक में अतिरिक्त प्रकटीकरण की गणना निम्नानुसार है:

ए. योजना का संक्षिप्त विवरण:

बैंक ने प्रस्ताव किया है कि 9 (नौ) करोड़ तक के अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक की नई इक्विटी शेयर बैंक के सभी पात्र कर्मचारियों को सिंडीबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत लागू नियमों, कानूनों और दिशानिर्देशों के अधीन जो इस प्रकार के प्रस्तावों को तैयार करते समय निर्णीत होगा ताकि भारत सरकार की धारिता 51.00% से कम न हो।

to issue new Equity Shares to its permanent employees including the Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors of the Bank (Eligible Employees). The proposed issue will also measure up to meet the growing demands for long term resources and shore the Bank's capital adequacy in line with the BASEL III requirements.

In compliance with SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 [SEBI (SBEB)], the Bank is formulating a Scheme namely SyndicateBank Employee Stock Purchase Scheme ("SYNDIBANK-ESPS"). The Scheme will be administered by a Committee of the Board and shall be subject to compliance with the applicable laws.

Out of total capital raising plan of ₹5,000 Crores for the year 2018-19, the Board of the Bank has decided to raise Equity Share Capital upto ₹90 crore (i.e. upto 9 Crore Equity Shares with face value of ₹10/- each), through SyndicateBank Employee Stock Purchase Scheme ("SYNDIBANK-ESPS") amounting to a maximum of ₹250 crore (including premium) in one or more tranches subject to mandatory/regulatory approvals from the GOI/SEBI/Other regulatory agencies etc, in such a way that the Government of India holding in the Bank does not fall below 51.00%.

The object of the issue, apart from raising of long-term resources is:

- To recognize and reward the contributions made by the employees of the Bank and align the interests of the employees with the long term interests of the Bank; and
- To enhance the sense of belongingness and ownership amongst the employees.

The new Equity Shares proposed to be issued under the Scheme shall rank *pari passu* in all respects with the existing Equity Shares of the Bank including payment of dividend, if any, declared by the Bank.

In compliance with Regulation 41(4) of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR)] and Regulation 6 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, the Bank is proposing the Special Resolution for issuance and allotment of new Equity Shares to eligible Employees.

Pursuant to SEBI Circular No. CIR/CFD/Policy Cell/ 2015 dated 16th June 2015, additional disclosures as enumerated therein are as under:

A. BRIEF DESCRIPTION OF THE SCHEME:

The Bank proposes to offer upto 9 (Nine) Crore new Equity Shares of face value of ₹10/- each of the Bank to all the eligible Employees under SYNDIBANK-ESPS subject to applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines, to be decided at the time of making offer in such a way that the Government of India holding does not reduce below 51.00%.

बी. स्वीकृत किये जाने वाले कुल शेयरों की संख्या:

सिंडिबैंक-ईएसपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को कुल नई इक्विटी शेयर 900,00,000 (नौ करोड़) तक प्रस्तावित की जा रही है।

सी. सिंडिबैंक-ईएसपीएस में भाग लेने एवं लाभ लेने वाले पात्र कर्मचारियों के वर्ग की पहचान:

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक सहित बैंक के सभी स्थायी कर्मचारी

डी. प्रदान करने की आवश्यकता और अवधि:

इक्विटी शेयरों को सीधे तौर पर आबंटित एवं प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है अतः, प्रदान करने की कोई अवधि नहीं होगी।

इ. अधिकतम अवधि (सेबी (एमबीईबी) विनियमन की 15 (1) और 24 (1) के अधीन, जैसा भी मामला हो) जिसमें विकल्प/एसएआर/लाभ निहित किया जाना है:

लागू नहीं।

एफ. कार्यान्वयन मूल्य, एसएआर मूल्य, क्रय मूल्य या मूल्य निर्धारण की विधि:

निदेशकों की समिति/बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के समय प्रस्तावित मूल्य/क्रय मूल्य निर्धारित की जाएगी। योजना के अंतर्गत बैंक के पात्र कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों का मूल्य दो सप्ताह पूर्व एनएसई द्वारा निर्धारित इक्विटी शेयरों के औसत मूल्य की मात्रा के साप्ताहिक उच्च और निम्न के औसत पर [●]/ [●] से [●]% तक की कटौती (समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी), जिस पर बोर्ड/ समिति प्रस्तावित/क्रय मूल्य तय करेगी।

जी. कार्यान्वयन की प्रक्रिया और अवधि:

समिति/ बोर्ड के निर्णय के अनुसार निर्गमन खुलने की अवधि कार्यान्वयन अवधि मानी जाएगी। कार्यान्वयन की प्रक्रिया पात्र कर्मचारियों को प्रस्ताव, आवेदनों की प्राप्ति और योजना के अंतर्गत शेयरों का आबंटन तथा अंशदान की राशि सहित अंतरूम होगी।

एच. प्रस्तावित ईएसपीएस के लिए कर्मचारियों की पात्रता निर्धारण हेतु मूल्यांकन प्रक्रिया:

प्रस्ताव की तिथि की स्थिति में पात्र कर्मचारी लागू विनियामक आवश्यकताओं और दिशानिर्देशों के अधीन भाग लेने हेतु हकदार होंगे।

B. TOTAL NUMBER OF SHARES TO BE GRANTED:

Up to 9,00,00,000 (Nine crore) new Equity Shares in aggregate are proposed to be offered to the eligible Employees under the SYNDIBANK-ESPS.

C. IDENTIFICATION OF CLASSES OF EMPLOYEES ENTITLED TO PARTICIPATE AND BE BENEFICIARIES IN THE SYNDIBANK-ESPS:

All permanent Employees of the Bank including Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director(s) of the Bank.

D. REQUIREMENTS OF VESTING AND PERIOD OF VESTING:

The Equity Shares are proposed to be offered directly and allotted and thus there will not be period of Vesting.

E. MAXIMUM PERIOD {SUBJECT TO REGULATION 18 (1) AND 24 (1) OF THE SEBI (SBE) REGULATIONS, AS THE CASE MAY BE} WITHIN WHICH THE OPTIONS/SARs/BENEFIT SHALL BE VESTED:

Not Applicable.

F. EXERCISE PRICE, SAR PRICE, PURCHASE PRICE OR PRICING FORMULA:

The Offer Price/Purchase Price will be determined by the Board/Committee of Directors at the time of offer. The price of the Shares to be allotted under the Scheme to the Eligible Employees of the Bank shall be at a discount of [●] / in the range of [●] to [●] % (to be decided by the Committee) on the average of the weekly high and low of the volume weighted average prices of the Equity Shares quoted on NSE during the two weeks preceding the date on which the Board/ Committee fixes Offer/Purchase Price.

G. EXERCISE PERIOD AND PROCESS OF EXERCISE:

The period during which the issue remains open as per decision of the Board/Committee shall be the Exercise Period. The process of exercise would, inter alia, include offer made to the eligible Employees, receipt of application and subscription amount and allotment of shares pursuant to the Scheme.

H. THE APPRAISAL PROCESS FOR DETERMINING THE ELIGIBILITY OF EMPLOYEES FOR THE PROPOSED ESPS:

Eligible Employees as on the date of offering will be entitled to participate subject to the applicable regulatory requirements and guidelines.

आई. प्रति कर्मचारी को निर्गमन की जानेवाली विकल्प, एसएआर, शेयरों की अधिकतम संख्या जैसा भी मामला हो, एवं कुल निर्गमन:

योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी निर्गमित की जानेवाली नई इक्विटी शेयर की अधिकतम संख्या 6000 (छः हजार) इक्विटी शेयर या इस उद्देश्य के लिए गठित की गई निदेशकों की समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा। बैंक द्वारा अधिकतम 9,00,00,000 (नौ करोड़) नई इक्विटी शेयर निर्गमित करने का प्रस्ताव है, जो प्रति कर्मचारी 1.00% की निर्गमित चुकता पूंजी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जे. योजना के अंतर्गत प्रति कर्मचारी को प्रदान की जानेवाली लाभ की अधिकतम अवधि:

उपरोक्त पैरा (1) में उल्लेखित योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को निर्गमित की गई इक्विटी शेयर के अलावा, कर्मचारी को अन्य कोई लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है।

के. क्या योजना सीधे बैंक द्वारा कार्यान्वित और प्रशासित की जाएगी या ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा:

प्रस्तावित योजना सीधे बैंक द्वारा ही कार्यान्वित और प्रशासित की जाएगी।

एल. क्या योजना में कंपनी या ट्रस्ट द्वारा द्वितीयक अधिग्रहण या दोनों के द्वारा निर्गमित नई शेयर शामिल हैं:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक सीधे ही कर्मचारियों को नए इक्विटी शेयर निर्गमित करेगा।

एम. कंपनी द्वारा ट्रस्ट को योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की जानेवाली ऋण राशि, इसकी अवधि, उपयोगिता, चुकौती शर्तें आदि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक की नई इक्विटी शेयरों को सीधे ही पात्र कर्मचारियों को निर्गमित किया जाना प्रस्तावित है और इस प्रकार ट्रस्ट का गठन या ट्रस्ट को ऋण प्रदान किया जाना लागू नहीं है।

एन. द्वितीयक अधिग्रहण की अधिकतम प्रतिशतता (सेबी विनियमन के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा के अधीन) जो, योजना के उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट द्वारा तैयार किया गया है:

लागू नहीं।

I. **MAXIMUM NUMBER OF OPTIONS, SARs, SHARES, AS THE CASE MAY BE, TO BE ISSUED PER EMPLOYEE AND IN AGGREGATE:**

The maximum number of new Equity Shares per employee proposed to be issued under the Scheme is 6000 (Six thousand) Equity Shares or such lower number as decided by the Committee of Directors constituted for the purpose. The Bank proposes to issue maximum of 9,00,00,000 (Nine crore) new Equity Shares in aggregate and Equity Shares proposed to be issued per employee shall not exceed 1.00% of the post issue Paid-up Capital of the Bank.

J. **MAXIMUM QUANTUM OF BENEFITS TO BE PROVIDED PER EMPLOYEE UNDER THE SCHEME:**

Other than Equity Shares issued to the eligible Employees under the Scheme as indicated in para (I) above, no other benefit is proposed to be provided to the employees.

K. **WHETHER THE SCHEME(S) IS TO BE IMPLEMENTED AND ADMINISTERED DIRECTLY BY THE BANK OR THROUGH A TRUST:**

The proposed Scheme will be implemented and administered directly by the Bank.

L. **WHETHER THE SCHEME(S) INVOLVES NEW ISSUE OF SHARES BY THE COMPANY OR SECONDARY ACQUISITION BY THE TRUST OR BOTH:**

Under the proposed Scheme, the Bank will issue new Equity Shares directly to the eligible Employees.

M. **THE AMOUNT OF LOAN TO BE PROVIDED FOR IMPLEMENTATION OF THE SCHEME(S) BY THE COMPANY TO THE TRUST, ITS TENURE, UTILIZATION, REPAYMENT TERMS ETC.:**

Under the proposed Scheme, the new Equity Shares of the Bank are proposed to be issued directly to the eligible Employees and as such, the formation of the Trust or providing loan to the Trust is Not Applicable.

N. **MAXIMUM PERCENTAGE OF SECONDARY ACQUISITION (SUBJECT TO LIMITS SPECIFIED UNDER THE SEBI REGULATIONS) THAT CAN BE MADE BY THE TRUST FOR THE PURPOSES OF THE SCHEME(S):**

Not Applicable.

ओ. सेबी (एसबीईबी) विनियमन की 15 विनियम में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों के अनुकूल कंपनी के प्रभाव संबंधी विवरण:

सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन 2014 की 15 विनियम में निर्दिष्ट लेखांकन नीतियों जो समय समय पर लागू होती हैं, का अनुपालन करेगी।

पी. कंपनी द्वारा अपने विकल्प या एसएआर का मूल्य के उपयोग संबंधी विधि:

प्रस्तावित योजना के अंतर्गत बैंक ने नए इक्विटी शेयर निर्गमित करने का प्रस्ताव किया है और इस प्रकार विकल्प और एसएआर का मूल्यांकन लागू नहीं है।

क्यू. अनुवर्ती विवरण, यदि लागू हो:

यदि बैंक वास्तविक मूल्य का उपयोग कर शेयर आधारित कर्मचारी लाभ के विस्तार का चयन करती है, तो गणना की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत और पहचान की गई कर्मचारी क्षतिपूर्ति लागत, यदि उचित मूल्य का उपयोग किया गया है, के अंतर को निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाए और लाभ एवं बैंक की प्रति शेयर आय (ईपीएस) के अंतर के प्रभाव को निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेखित किया जाए। यदि लागू हो तो बैंक उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

आर. अवरुद्धता अवधि:

वर्तमान ईएसपीएस के अंतर्गत निर्गमित किए जाने वाले प्रस्तावित नई इक्विटी शेयर के लिए अवरुद्धता अवधि न्यूनतम 1 वर्ष की होगी, जो सेबी (एसबीएसबी) विनियमन 2014 के अनुसार आबंटन की तिथि से प्रभावी होगी।

निदेशक मंडल ने प्रस्तावित विशेष संकल्प को स्वीकृत करने का अनुमोदन किया है।

बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और अन्य मुख्य प्रबंधन पदाधिकारी (केएमपी) उपरोक्त उल्लेखित संकल्प के संबंधित या पक्ष में हैं क्योंकि इसका उद्देश्य उनका लाभ है। अन्य निदेशक संकल्प से संबंधित या पक्ष में नहीं हैं।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सिंडिकेट बैंक

सुशांत जैन

स्थान : बेंगलूरु

(सुशांत जैन)

दिनांक : 01.10.2018

कंपनी सचिव

O. A STATEMENT TO THE EFFECT THAT THE COMPANY SHALL CONFORM TO THE ACCOUNTING POLICIES SPECIFIED IN REGULATION 15 OF SEBI (SBEB) REGULATIONS:

The Bank will conform to the accounting policies specified in Regulation 15 of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014, if applicable from time to time.

P. THE METHOD WHICH THE COMPANY SHALL USE TO VALUE ITS OPTIONS OR SARs:

Under the proposed Scheme, the Bank proposes to issue new Equity Shares and as such, the valuation of Options or SARs is Not Applicable.

Q. THE FOLLOWING STATEMENT, IF APPLICABLE:

In case the Bank opts for expensing of Share Based Employee Benefits using the Intrinsic Value, the difference between the employee compensation cost so computed and the employee compensation cost that shall have been recognized if it had used the fair value, shall be disclosed in the Directors' Report and the impact of this difference on profits and on Earnings Per Share ("EPS") of the Bank shall also be disclosed in the Directors' Report. The Bank will comply with the above requirements, if applicable.

R. LOCK-IN PERIOD:

The new Equity Shares proposed to be issued under the present ESPS shall be locked-in for a minimum period of one year from the date of allotment as per SEBI (SBEB) Regulations, 2014.

The Board of Directors recommends the passing of the proposed Special Resolution.

The Managing Director & Chief Executive Officer, the Executive Directors and other Key Managerial Persons (KMPs) of the Bank are concerned or interested in the aforementioned Resolution as it is intended for their benefit. Other Directors are not concerned or interested in the Resolution.

By order of the Board of Directors
For Syndicate Bank

सुशांत जैन

Place: Bengaluru
Date: 01.10.2018

(Sushant Jain)
Company Secretary

घोषणा पत्र
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)
(विनियमावली के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती
निवासी एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि:

- ए) मैं सिंडिकेटबैंक का शेयरधारक हूँ और 25.09.2018 को यानी चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को मेरे पास ₹10/- के ईक्विटी शेयर हैं और यदि चयनित होता हूँ तो, मेरी अवधि की समाप्ति तक मैं न्यूनतम 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा; और
- बी) *मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, या किसी अन्य मामलों में आईटी/भुगतान एवं निपटान प्रणाली/मानव संसाधन आदि विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो) में विशेष जानकारी है और उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा 3 ए की शर्तों के अनुसार मैं जमाकर्ताओं, किसानों, कामगारों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता/करती हूँ और इसके सदस्यस्वरूप, मैं इसके साथ संगत प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर रहा /रही हूँ; और
- सी) मैं संख्यावाले नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ; और
- डी) मैं सिंडिकेटबैंक के निदेशक के चुनाव में सहभागिता करना चाहता/चाहती हूँ; और
- इ) मुझे, अधिनियम, योजना, विनियमावली, भा.रि.बैं. की अधिसूचना, के अंतर्गत बैंक के निदेशक बनने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है; और
- एफ) मैं न तो किसी लाभकारी पद पर हूँ न ही किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) या भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ; और
- जी) मैं एक वैध निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) अर्थात् - -----का धारक हूँ और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत मुझे अनर्ह नहीं किया गया है।
- एच) चयनित होने पर मैं बैंक से अपना व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, को तत्काल तोड़ दूंगा और निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान तथा तत्पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक से किसी भी प्रकार का व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा।
- आई) मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा दोषी करार नहीं किया गया है; और
- जे) मैं न किसी किराये पर खरीदने, वित्तीयन, निवेश, पट्टा तथा अन्य पारा बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़ा हूँ और न ही कोई सांसद/एम एलए/एमएलसी/स्टॉक ब्रोकर हूँ;
- के) मैं किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था या भा. रि. बैं. या बीमा कंपनी का निदेशक नहीं हूँ; और
- एल) मैं पूर्व में किसी बैंक के बोर्ड, अथवा वित्तीय संस्था अथवा भा. रि. बैं. या बीमा कंपनी के किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो वर्षों के लिए या 6 वर्षों के लिए, जो भी अधिक हो, के निदेशक पद पर नहीं रहा हूँ;
- एम) न मैं स्वयं और न ही मेरे फर्म का कोई भागीदार वर्तमान में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक के रूप में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक (पीएसबी) से जुड़े हुए है।
- एन) न मैं स्वयं और न ही मेरे फर्म का कोई भागीदार वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में जुड़े हुए है।
- एन) मैं सेबी (सूचीकरण दायित्वों एवं प्रकटन अपेक्षाओं) के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया हूँ; और
- ओ) बैंक के निदेशक के रूप में पद पर बने रहने तक, मैं सेबी (सूचीकरण देयताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 यथा संशोधित, के संगत प्रावधानों के अनुपालन का वचन देता हूँ।
- पी) बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चयनित होने पर प्रसंविदा विलेख को निष्पादित करने हेतु और इसके साथ-साथ इस घोषणा में प्रस्तुत सूचना से संगत कोई प्रसंग, यदि कोई हो, को यथासंभव शीघ्रता से बैंक को पूर्ण रूप से सूचित करने का वचन देता हूँ।

DECLARATION (BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son / daughter / wife of Shri/Smt. _____
_____, a resident of _____ hereby confirm that:

- a) I am a shareholder holding _____ equity shares of ₹10/- each of the Bank as on 25.09.2018 i.e., the Specified date for participating in the elections and will hold a minimum of 100 Equity Shares till the end of my tenure, if elected; and
- b) *I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/ Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk management/Business Management etc and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank and I represent the interest of the depositors, or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials and supporting documents; and
- c) I accept the nominations numbering _____; and
- d) I am willing to contest for the election of Directors of SyndicateBank; and
- e) I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Act, Scheme, Regulations, RBI Notification and GOI guidelines; and
- f) I neither hold any office of profit nor am an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and
- g) I hold a valid Director Identification Number (DIN) i.e., _____ and am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013;
- h) I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter;
- i) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
- j) I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC / Stock Broker;
- k) I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company; and
- l) I have not been a Director on the Board of any Bank, or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer;
- m) Neither myself or any partner of my firm is currently engaged in any Public Sector Bank(PSB) as a Statutory Central Auditor;
- n) Neither myself or any partner of my firm is currently engaged in SyndicateBank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor; and
- o) I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, till I hold the position as a Director of the Bank;
- p) I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

क्यू) अन्य कंपनियों/बैंकों में पूर्व-निदेशक के रूप में मेरे विवरण निम्नवत् हैं:

कंपनी/बैंक का नाम	निदेशक का विवरण यथा, अवधि इत्यादि

आर) मैं अपना वैयक्तिक विवरण, प्रमाण-पत्रों और सहायक दस्तावेजों तथा नामांकन फॉर्म संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, एश्वोरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या सिंडिकेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर।	उपर्युक्त घोषणा पत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गए।
	मोहर सहित हस्ताक्षर
	नाम
	दिनांक
*जो लागू है उस पर निशान लगाएँ	

- q) I give below the details of my present as well as past directorship in other Companies/Banks:

Name of the Company/Bank	Directorship details viz. tenure, period etc.

- r) I enclose my personal details, testimonials and supporting documents and nomination forms which are to the best of my knowledge and belief true and complete:

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or Syndicate Bank or any Nationalised Bank.

The above declaration was signed before me.

Signature with Seal

Name

Date

*Tick whichever is applicable.

**व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचन
बैंक का नाम: सिंडिकेटबैंक**

यहाँ पासपोर्ट साइज
फोटो चिपकाएँ

**अभ्यर्थी द्वारा घोषणा और वचन
(दि. 25.09.2018 की स्थिति के अनुसार विनियोजित अनुबंधों के साथ)**

I	अभ्यर्थी के वैयक्तिक ब्यौरे	
ए)	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) पिता का पूरा नाम	
बी)	जन्म तिथि	
सी)	शैक्षिक योग्यता (शैक्षिक/अकादमिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
	(शैक्षिक/व्यावसायिक) (जानकारी से संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
डी)	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए) का संदर्भ लें। (बैंक में निदेशक पद से संबंधित अनुभवों का उल्लेख करें।) जानकारी से संबंधित दस्तावेज की प्रति संलग्न करें।	
ई)	स्थायी पता	
एफ)	वर्तमान पता	
जी)	ई-मेल पता दूरभाष सं. (लैंड लाइन) दूरभाष सं. (मोबाइल)	
एच)	1) आय कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (प्रतिलिपि संलग्न करें) 2) आय कर सर्किल/मंडल का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत रिटर्न भरा जाता हो। (पिछले तीन वर्ष की आईटीओ रिटर्न की प्रति संलग्न की जाए)	
आई)	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव-बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3ए) का संदर्भ लें।	
जे)	बैंक के निदेशकत्व से संबद्ध अन्य कोई सूचना	

Personal Information, Declaration and Undertaking

Name of the Bank: SyndicateBank

Affix passport
size photo here

Declaration & Undertaking by the Candidate (With enclosures as appropriate as on 25.09.2018)

I	Personal details of Candidate	
A	Full Name (in block capital letters) Father's Name (in Full)	
B	Date of Birth	
C	Educational Qualifications	
	(Educational/Academic) (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information)	
	(Educational/Professional) (Please attach self-attested copies of the certificates supporting the information)	
D	Relevant Background and Experience [As required under Section 9 (3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/19780] (Please indicate your experience relevant to the directorship of the Bank). Please attach copies of the documents supporting the information.	
E	Permanent Address	
F	Present Address	
G	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
H	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/ Division where personal tax returns are being filed. (Copies of last 3 years ITO return be enclosed)	
I	Relevant Knowledge and Experience [Refer Section 9 (3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980]	
J	Any other information relevant to Directorship of the Bank	

II अभ्यर्थी के साथ संबंध		
ए)	उन रिश्तेदारों, यदि कोई हो, की सूची जो बैंक के साथ संबंध रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें)	
बी)	उन संस्थाओं, यदि कोई हो, की सूची जिनमें वे हितबद्ध हो (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184 और धारा 2(49) का संदर्भ लें)	
सी)	उन संस्थाओं की सूची जिनमें वे बैंकिंग विनियमावली अधिनियम 1949 की धारा 5 (एन.ई.) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखते/रखती हो, वर्तमान और प्रस्तावित।	
डी)	उस बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हो या रहे हों (पदावधि के ब्यौरे प्रस्तुत किए जाएं)।	
ई)	बैंक से उनके द्वारा और/या उपर्युक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा वर्तमान में धारित निधिक और गैर-निधिक सुविधाएँ, यदि कोई हो।	
एफ)	यदि कोई मामलें हो, या उपर्युक्त II (बी) और (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक से या अन्य किसी बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की है या चूक कर रहे हैं।	
III व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख		
ए)	व्यावसायिक उपलब्धियाँ (जानकारी से संबंधित दस्तावेज संलग्न की जाए)	
IV अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कुछ हो:		
ए)	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संगठन/निकाय का सदस्य है तो अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण, यदि कुछ हो, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इसमें प्रभावित कार्यवाई, अथवा उन्हें क्या किसी व्यावसायिक/पेशे में आने के लिए कभी निषिद्ध/निषेधित किया गया है?	
बी)	अभियोजन का विवरण, यदि कुछ हो, अभ्यर्थी और/या उक्त मद सं. II (बी) एवं (सी) में उद्धृत किसी सदस्यों के विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार की कार्यवाई जिससे आर्थिक नियमों तथा विनियमों की अवहेलना हो।	
सी)	अभ्यर्थी के विरुद्ध, यदि कोई लंबित या चल रही अथवा अतीत में इससे प्रभावित किसी प्रकार का अभियोजन हो, तो विवरण दें।	
डी)	क्या अभ्यर्थी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के तहत किसी प्रकार की परिकल्पित अयोग्यता दर्शायी है?	
ई)	क्या अभ्यर्थी या उक्त मद सं. II (बी) तथा (सी) में सूचित कोई सदस्य, किसी सरकारी विभाग या एजेंसी के मामले में किसी प्रकार की पड़ताल से संबद्ध हैं?	
एफ)	क्या अभ्यर्थी ने पहले कभी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकरणों संबंधी नियमों/विनियमों/विधायी अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	

II		Relevant Relationships of Candidate	
	A	List of Relatives if any who are connected with the Bank [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013]	
	B	List of entities if any in which he/she is considered as being interested [Refer Section 184 and Section 2(49) of the Companies Act, 2013]	
	C	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	D	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the Board (giving details of period during which such office was held)	
	E	Fund and Non-Fund Facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank.	
	F	Cases, if any, where the Candidate or Entities listed in II (B) and (C) above are in default or have been in default in the past in respect of Credit Facilities obtained from the Bank or any other Bank.	
III		Records of Professional Achievements	
	A	Professional achievements relevant (Copies of supporting documents be enclosed)	
IV		Proceedings, if any, against the Candidate	
	A	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/ occupation at any time.	
	B	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (B) and (C) above for violation of economic laws and regulations.	
	C	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate.	
	D	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013?	
	E	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	F	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities, if so give particulars.	

जी)	क्या अभ्यर्थी को पहले कभी सेबी, आई.आर.डी.ए., डी.सी.ए. भा.रि.बै., फेमा, एम.सी.ए., सिबिल जैसे नियंत्रण तंत्र से प्रतिकूल नोटिस मिली है? (हालांकि किसी भी प्रत्याशी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, इस कॉलम में वैसे आदेशों तथा निष्कर्षों को लिखा जाए जिन्हें बाद में नियंत्रक तंत्र द्वारा वापस ले लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो। इस बारे में यह सूचित करना आवश्यक होगा, बशर्ते वह सीमा या क्षेत्राधिकार से बाहर जैसे कारणों से वापस लिया गया हो/छोड़ा गया हो न कि व्यक्तिगत गुणों के कारण। यदि नियंत्रक तंत्र का आदेश अस्थाई रूप से रोका गया है तथा अपीलीय/न्यायालयीन कार्यवाहियाँ लंबित हैं तो इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।)	
V	मद सं. I से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा उपयुक्त एवं उचित का निर्णय करने संबंधी कोई अन्य सूचना	

वचन

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी में सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता/देती हूँ कि ऊपर वर्णित सभी बातें जिनसे मेरी नियुक्ति का संबंध है तथा उनसे संबंधित सभी सूचनाओं एवं सभी घटनाओं से बैंक को यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा/कराती रहूँगी।

मैं, बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने संबंधी सभी अपेक्षित विलेखों को निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक:

1. यदि स्थान पर्याप्त न हो तो जानकारी क्रमानुसार तथा उचित संदर्भ सहित, अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
2. अनुलग्नक सहित सभी पृष्ठों पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

नामांकन समिति की टिप्पणियाँ/अभियुक्तियाँ

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :

दिनांक :

	G	Whether the Candidate at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in to, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		Any other explanation/information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging Fit and Proper.	

Undertaking

I _____ Son/Daughter/Wife of Shri _____ confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenants required to be executed by all directors of the Bank.

Place:

Date:

Signature of Candidate

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee

Committee Member	Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place:

Date:

नामांकन फॉर्म
(शेयरधारक द्वारा भरा जाए)
(विनियमावली के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें)

सेवा में

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सिंडिकेट बैंक

प्रधान कार्यालय, मणिपाल

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

दिनांक 01.10.2018 की आपकी नोटिस के संदर्भ में मैं, श्री/श्रीमती सिंडिकेट बैंक का शेयरधारक हूँ और मैं, बुधवार दि. 25 सितंबर 2018 (चुनाव में सहभागिता करने के लिए विनिर्दिष्ट तारीख) को ईक्विटी शेयर रखता / रखती हूँ जिनका मूल्य प्रति शेयर ₹ 10 है और मैं श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री / पत्नी श्री/श्रीमती निवासी को 29.10.2018 को मणिपाल में आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में सिंडिकेट बैंक के निदेशक के पद पर निर्वाचित होने के लिए नामित करता/करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत नहीं हो)	
डी.पी.आई.डी. सं. तथा ग्राहक आई.डी. सं. (यदि बेकागजीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

नोट:

- ए) यदि नामांकन किसी कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया गया है तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्यप्रति संलग्न की जाए जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जिसमें संकल्प पारित हुआ है।
- बी) अभ्यर्थी को नामित करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर का मिलान बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ होने चाहिए।
- सी) यदि ऊपर कोई कॉलम रिक्त छोड़ने अथवा कोई विवरण गलत पाए जाने की स्थिति में नामांकन रद्द किया जा जाएगा।

NOMINATION FORM
(By the Shareholder)
[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

To,
The Managing Director & Chief Executive Officer
SyndicateBank
Head Office, Manipal

Sirs,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 01.10.2018, I Shri/Smt. _____
_____ a shareholder of SyndicateBank holding _____ Equity Shares of ₹10/- each as on Tuesday, the 25th
September 2018 (being the Specified Date considered for participating in the election), do hereby nominate Shri/
Smt. _____ son / daughter / wife of _____
_____ residing at _____ for being elected as a Director of
SyndicateBank representing the Shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of
the Bank to be held on 29.10.2018 at Manipal.

Name	
Signature	
No. of Shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

- a) In case nomination is made by a Shareholder who is a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- b) Signature of the Shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

उपस्थिति पर्ची

(बैठक के स्थान पर प्रविष्टि करते समय प्रस्तुत की जाए)

दिनांक : 29 अक्तूबर 2018

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : सिंडिकेटबैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल

बैंक की असाधारण आम बैठक में एतद्वारा मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रवेश पत्र

(बैठक के अंत तक रखा जाए)

उपस्थित शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			
पंजीकृत फोलियो		डीपी आईडी	
		ग्राहक आईडी	
(यदि बेकागजीकृत नहीं हो)		(यदि बेकागजीकृत हो)	
शेयरधारक का नाम :			
शेयरों की संख्या :			

शेयरधारक/प्रॉक्सी या शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक के स्थान पर प्रवेश करते समय, उपर्युक्त उपस्थिति-पर्ची, जिस पर बैंक के पास पंजीकृत उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर किए गये हों तथा प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। आवश्यकता पड़ने पर, उपर्युक्त का सत्यापन/परीक्षण किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर अनुलिपि उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।



Head Office: Manipal

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Date : **29th October 2018**

Time : 10:00 AM

Place : SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			



Head Office: Manipal

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/Proxy/Representative present			
Regd. Folio		DP ID	
		Client ID	
(If not dematerialised)		(If dematerialised)	
Name of the Shareholder:			
Number of Shares:			

Shareholders/Proxy or Authorized Representative of Shareholders are requested to produce the above Attendance Slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the Entry Pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip will be issued at the entrance to the meeting.



प्रधान कार्यालय : मणिपाल

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरे जाने एवं हस्ताक्षर करने के लिए)

पंजीकृत फोलियो
(यदि बेकागजीकृत नहीं है)
डीपी आईडी व ग्राहक आईडी
(यदि बेकागजीकृत है)

सिंडिकेट बैंक, मणिपाल के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती

मैं/हम _____ निवासी _____

_____ जिला _____ राज्य _____ सिंडिकेट बैंक, मणिपाल

के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर,

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____ को

सिंडिकेट बैंक के स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल में दि. 29.10.2018 को प्रातः 10.00 बजे होनेवाली सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक और उसके बाद स्थगित अन्य किसी बैठक में मुझे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं।

वर्ष 2018 के _____ माह के _____ दिन को हस्ताक्षरित

कृपया ₹1/-
का राजस्व
टिकट लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रथम नामित/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :



Head Office: Manipal

PROXY FORM

(to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio	
(If not dematerialised)	
DP ID & Client ID	
(If dematerialised)	

I/We _____ resident(s) of _____ in the district of _____ in the State of _____ being a shareholder/shareholder(s) of SyndicateBank, Manipal, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the State of _____ **OR** failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of SyndicateBank to be held on 29.10.2018 at 10:00 AM at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2018.

Please
Affix
Re.1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name :

Address:

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश:

1. प्रॉक्सी लिखत तभी वैध होगा जब
 - ए) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में, वह उसके द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
 - बी) संयुक्त धारकों के मामले में, रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
 - सी) किसी कंपनी निकाय के मामले में, वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।
2. प्रॉक्सी लिखत पर शेयरधारक सदस्य के विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि कोई शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ है और यदि वह उस पर अंगूठा निशान अंकित करता है तो जज, मजिस्ट्रेट या एश्युरेन्स का रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या सिंडिकेटबैंक के अधिकारी द्वारा साक्षांकित होना चाहिए ।
3. प्रॉक्सी के साथ
 - ए) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - बी) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति असाधारण आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् 24.10.2018 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले सिंडिकेटबैंक, नैगम सूचना केंद्र, प्रधान कार्यालय, मणिपाल - 576 104 में जमा की जानी चाहिए ।
4. कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत राजस्व टिकट लगा न हो ।
5. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी ।
6. यदि प्रॉक्सी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो, एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएँ ।
7. जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी लिखत निष्पादित किया है, वह उस लिखत से संबंधित असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो ।
8. सिंडिकेटबैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाए।

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM:

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of SyndicateBank.
3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of SyndicateBank with Corporate Information Centre, Manipal – 576 104 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on 24.10.2018.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of SyndicateBank.

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK